रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2008.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 19 नवम्बर, 2008 / 28 कार्तिक, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 13 सितम्बर, 2008

संख्या एस0जे0ई0–ए(3)17 / 2005.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श, से हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सांख्यिकी सहायक, वर्ग–III (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सांख्यिकी सहायक वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. निरसन और व्यावृतियां.––(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी0 डी0(ए)4–3 / 80, तारीख 09–09–1981 द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जन जाति विभाग सांख्यिकी सहायक वर्ग–III, अराजपत्रित भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1981 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

————————

उपाबन्ध–क

हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में 800–9200 के वेतनमान में सांख्यिकी सहायक वर्ग–III (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**–सांख्यिकी सहायक।

2. **पदों की संख्या**.– 11 (ग्यारह)।

3. **वर्गीकरण.**–वर्ग–III (अराजपत्रित)।

4. **वेतनमान.**– 5800–200–7000–220–8100–275–9200.

5. **चयन पद अथवा अचयन पद**.–अचयन पद।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु**.–18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशें के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कमचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पणी.–(i) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद(पदों) को यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोज–नालयों को अधिसूचित किया गया है।

(ii) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.–(क) **अनिवार्य अर्हता.–** कला स्नातक / विज्ञाान स्नातक गणित / अर्थशास्त्र को अधिमानता।

(ख) वांछनीय अर्हताएं.–हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.–आयु.–लागू नहीं।

शैक्षणिक अर्हता.–लागू होगी।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.–दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति.–भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.–(1) पचास प्रतिशत प्रोनन्ति द्वारा ऐसा न होने पर सैकेन्डमेंट आधार पर।

(2) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्था–नान्तरण किया जाएगा.–कम्पयूटर पदधारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को शामिल करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में से इस पद के समकक्ष वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सेकेन्डमेंट अधार पर।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों का जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी।

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्र्गत भर्ती किया गया है तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरण पद पर गई निरन्तर तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपयुक्त निदिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—जैसी सरकार द्वारा समय—समय पर गठित की जाएं।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.— जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवाश्यक या समीचीन समझे, जो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम, यथास्थिति, भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15 क.—संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन (नया उपबन्ध).—(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश में सांख्यिकी सहायक की संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में यथा विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा(जॉव) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त सांख्यिकी सहायक को 8700 / — रुपए (जो वेतनमान के आरम्भिक की दर से समेकित संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) की दर से सेविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जायेगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 200 / — रुपए वार्षिर्क वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएगें।

(III) नियुक्ति अनुशासन प्राधिकारी.—निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदा पर नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन एवं शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8700/– रुपए (जो वेतनमान के आरम्भिक आरम्भ जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) की दर से नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 200/– रुपए वार्षिक की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं। होगी केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ड.) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य(डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिक्तिसा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.—इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में सांख्यिकी सहायक के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

———————

उपाबन्ध–ख

सांख्यिकी सहायक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमती ..... पुत्र / पुत्री श्री ..... निवासी ..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सांख्यिकी सहायक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरै शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः–

1. यह कि प्रथम पक्षकार सांख्यिकी सहायक के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात ..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित(समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार का संविदा वेतन 8700 / – रुपए प्रतिमास होगा।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नही पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में नियमितिकरण के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदात्मक पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। संविदात्मक पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

6. नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान(समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्यों (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

10. संविदात्मक पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षरित किया गया।

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

.....
(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

.....
(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(Authoritative English Text of this department notification NoSJE-A(3)17/2005, dated --------- as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th September, 2007

No.SJE-A(3)17/2005.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Statistical Assistant, Class-III(Non-Gazetted)in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. *Short title and Commencement*.—(1)These Rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department,Statistical Assistant,Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, rules, 2007.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal & Savings.*—(1) The Tribal Development Department,Statistical Assistant,(Class-III Non-Gazetted)Recruitment and Promotion rules, 1981 notified *vide* this Department notification No. T.D.(A)4-3/80. dated 9-9-81 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF STATISTICAL ASSISTANT (CLASS-III NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPLOYMENT, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the Post.**—Statistical Assistant.

2. **Number of posts.**—11 (Eleven).

3. **Classification Class-III**.—(Non-Gazetted).

4. **Scale of pay (be given in expanded notation)**.—5800-200-7000-220-8100-275-9200.

5. **Whether Selection or Non-Selection post**.—Non Selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including these who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note.—(i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(ii) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.—**a) ESSENTIAL.—**B.A/B/Sc. preferably with Maths/Economics.

(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS.—(i) Two years experience in the field of collection/ compilation of statistical data.

(ii) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotes.—Age.—No.

Educational qualification.—No.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be record in writing .

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post to be filled in by various methods.—50% Percent

by promotion failing which by secondment basis. 50% by Direct recruitment or on contract basis.

11. In case of recruitment by promotions, secondment, transfer grade from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the incumbents of Computers having three years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service endered if any in the grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale of this post from other Departments of H.P. Government.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, provided that:

(i) In all case where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the recruitment's of the preceding proviso , the persons(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment and Promotion Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be consistituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment; As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall made on the basis of viva-voce test and if Himachal Pradesh Public Service commission or other recruiting authorities as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting authority as the case may be.

15.A Selection for appointment to the post by contract appointment.—(I) CONCEPT.—

(a) Under this policy, the Statistical Assistant in the Department of Social Justice & Empowerment, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) **Post Falls Within The Purview of HPPSC.—**The Director, Social Justice & Empowerment after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government Job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Statistical Assistant appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 8700/- P.M. An amount of Rs 200/- as annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Social Justice & Empowerment H. P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* HPSSB.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.S.S.B. from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.8700/- per month. The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 200/- per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporally unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.—The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim regularization/permanent absorption as Statistical Assistant in the Department at any stage.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/Sch. Tribes Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

ANNEXURE-B

form of contract/agreement to be executed between the statistical Assistant_____& the Government of Himachal Pradesh through Director Social Justice & Empowerment Department

his agreement is made on this.....day of.....in the year.....Between Sh/Smt./Km.....S/o/D/o.....Shri.....R/o.....
.....
.....contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Social Justice and Empowerment Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY) The Second Party

has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Statistical Assistant.....on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Statistical Assistant.....for a period of 1 year commencing on day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on..... And information notice shall not be necessary.

2. The contract salary of the FIRST PARTY will be Rs 8700/- P.M.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.

5. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. No other leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of the appointee.....on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

9. Contractual..appointee.....shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Officer at the minimum of pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. .....
   .....
   .....
   (Name and Full Address)

2. .....
   .....
   .....
   (Name and Full Address)

(Signature of the First Party)

1. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

2. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

(Signature of the Second Party)

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002 30 अक्तूबर, 2008

संख्या 1–58 / 69–फिन(एल0ए0) पार्ट(4).––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग में कनिष्ठ लेखा परीक्षक वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं; अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग कनिष्ठ लेखा परीक्षक, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.––(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1–58 / 69–फिन (एल0ए0) खण्ड–4, तारीख 30 जुलाई, 1997 द्वारा अधिसूचित और समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग कनिष्ठ लेखा परीक्षक (वर्ग– III अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / ––
प्रधान सचिव।

उपाबन्ध–''क''

हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग में 5800–9200 रुपये के वेतनमान में कनिष्ठ लेखा परीक्षक, वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.––कनिष्ठ लेखा परीक्षक

2. पदों की संख्या.––73 (तिहत्तर)

3. वर्गीकरण.––वर्ग–III (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.––5800–200–7000–220–8100–275–9200 रूपये।

5. चयन पद अथवा अचयन.––अचयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.––18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर / निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत– निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––(क) अनिवार्य अर्हर्तता.––किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक अधिमानतः वाणिज्य में स्नातक या इसके समकक्ष।

(ख) वांछनीय अर्हता.––हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.––आयु.––लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं.––लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित
कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.––(i) पचास प्रतिषत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर।

(ii) पचास प्रतिषत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.––सामान्य लिपिकीय संवर्ग (काडर) के पदधारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके, दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

परन्तु यह उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो, के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगें ।

स्पष्टीकरण.––अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोविलाईजड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान–टैक्नीकल सर्विसीज)रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अर्न्तगत भर्ती किया गया है और इनके अर्न्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामलें में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेष लोक सेवा आयेाग या अन्य भर्ती प्राधिकरण, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग या भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––I. संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेष स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, में कनिष्ठ लेखा परीक्षक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षो के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.––निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

II. संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ लेखा परीक्षक को 8700 / –रूपए (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौत्तरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 200 / –रूपए की रकम (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्वि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

III. नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.––निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

IV. चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

V. संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

VI. करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पष्चात्, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

VII. निबन्धन एवं शर्तें.––(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8700 / –रुपए की (जो वेतनमान का प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 200 / –रूपए (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्वि के बराबर) की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के प्श्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ड.) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समाप्ति) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा। (च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

VIII. नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.––इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में, विभाग में कनिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. **आरक्षण.––**सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

––––––––––

उपाबन्ध–''ख''

कनिष्ठ लेखा परीक्षक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी..... ..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वतीय पक्षकार'** कहा गया है) के माध्यम से, आज तारीख.....को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और **'प्रथम पक्षकार'** ने कनिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि **'प्रथम पक्षकार' कनिष्ठ लेखेखा परीक्षक** के रूप में.....से प्रारम्भ होने और .....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए 'द्वितीय पक्षकार' की सेवा में रहेगा। यह विनिर्निष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8700 / – रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ लेखा परीक्षक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ लेखा परीक्षक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अनुसार दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ लेखा परीक्षक कर्तव्य (डियुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप 'प्रथम पक्षकार' और 'द्वितीय पक्षकार' ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :–

1 .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में :–

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

———————

[Authoritative English Text of this Notification No.1-58/69-Fin (LA) Part (4), dated……as required under clause (3) of Articles 348 of the Constitution of India] .

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 30th October, 2008

No.1-58/69-Fin (LA) Part (4).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in Consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Auditor Class-III (Non Gazetted) in the Local Audit Department, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. *Short title and Commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department Junior Auditor Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and Savings.*—(1) The Recruitment and Promotion Rules for class-III(Non-Gazetted) post of Junior Auditor in the Local Audit Department, Himachal Pradesh notified vide this Department Notification No.1-58/69-Fin (L.A.) Vol-IV, dated 30 July, 1997 and as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under rule 2(i) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By Order,
Sd/-
Principal Secretary.

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR AUDITOR (CLASS-III-NON-GAZETTED) IN THE PAY SCALE OF RS. 5800-9200, IN THE LOCAL AUDIT DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH

1. *Name of the Post.*—Junior Auditor.

2. *Number of posts.*—73 (Seventy Three).

3. *Classification.*—Class-III -Non –Gazetted.

4. *Scale of pay.*—Rs.5800-200-7000-220-8100-275-9200.

5. *Whether selection post or nonselection post.*—Non Selection.

6. *Age for direct recruitment.*—Between 18 years and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relax able for Schedule Caste/Scheduled Tribes/ other Backward categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Governments Servants before absorption in Public Sector/Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed, age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector/Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such

Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. *Minimum educational qualifications and other qualifications required for direct recruits.*—**(a) ESSENTIAL QUALIFICATION**.—2nd Class Graduate preferably B.Com. of the recognized University or its equivalent.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. *Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.*—**Age** : Not applicable.

Educational Qualifications.—Not applicable.

9. *Period of Probation, if any.*—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. *Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer, and the percentage of posts to be filled in by various methods.*—(i) 50% by direct recruitment on regular basis or on contract basis.

(ii) 50% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or on contract basis.

11. *In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grade from which promotion/transfer is to be made.*—By promotion from amongst the incumbents of the common clerical cadre with ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules;

In all cases where a Junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all person senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 03 years or that prescribed in the R&P Rules for the post whichever is less.

Provided further that where a junior person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceeding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex–servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of the Exserviceman (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service as referred to above shall remain unchanged.

12. *If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?*.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. *Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission to be consulted in making recruitment*.—As required under the law.

14. *Essential requirements for a direct recruitment*.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. *Selection for appointment to post by direct recruitment.*—Selection for appointment to the post or in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission or the recruiting authority, as the case may be.

15-A. *Selection for appointment to the post by contract appointment*.— **(I) CONCEPT**.—(a) Under this policy the Junior Auditor in Local Audit Department H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P. S.S.S.B.—The Director, Local Audit Department, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(a) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(b) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Auditor appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 8700/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale Dearness Pay) An amount of Rs. 200/- (equal to annual increase the pay scale of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING AND DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Local Audit Department H.P. will be appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by written test, or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OFCONTRACTUAL APPOINTEMNTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-'B' appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 8700/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale plus Dearness pay). The contract appointee will be entitled for increase contractual amount @ Rs. 200/- (equal to annual increase the pay scale) per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This can be accumulated up to one year. No leave or any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Maternity Benefit
Act, 1961.

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporary

unfit till the confinement is over. Thewomen candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.—The candidate engaged on contract basis under these Rules shall have no right to claim for regularization/permanent absorption as Junior Auditor in the Department at any stage.

16. *Reservation*.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Casts/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes /other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government form time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. *Power to relax*.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by orders for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

_____

Annexure "B"

Form of contract/agreement to be executed between the Junior Auditor and the Government of Himachal Pradesh through Director, Local Audit Department, Himachal Pradesh.

This agreement is made on the _____ day of _____ in the year _____ between Sh//Smt. _____ S/o D/o Shri _____ R/o _____ contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through _____ (Designation of the Himachal Pradesh through _____ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-inafter the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a _____ (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions :—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a _____ (Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 8700/- per month.

3. The service of FIRST PARY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.

5. Contractual _____ (Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual _____ (Name of the post). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Maternity Benefit Act, 1961.

6. Unauthorized absence from the duty without approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual _____ (Name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
   _____
   _____
   (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____
   _____
   _____
   (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
   _____
   _____
   (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____
   _____
   _____
   (Name and Full Address)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–171002, 3 अक्तूबर, 2008

संख्या सिंचाई 11–47 / 2007–कांगड़ा.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बाइन्दौरिया, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि का रेखांक, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र हैक्टेयरों में
कांगड़ा	इन्दौरा	बाइन्दौरिया	349/1	0-00-12
			348/1	0-06-04
			347/1	0-02-64
			346/1	0-00-34
			345/1	0-01-21
			231/1	0-07-37
			135/1	0-03-30
			131/1	0-06-10
			129/1	0-01-20
			128/1	0-03-75
			561/127/1	0-07-34
			153/1	0-08-22
			136/1	0-00-24
			159/1	0-00-24
			155/1	0-05-04
			167/1	0-00-35
			158/1	0-09-75
			69/1	0-01-98
			132	0-00-28
			किता-19	0-65-81 है0

शिमला–171002, 06 अक्तूबर, 2008

संख्या सिंचाई 11–56 / 2007–कांगड़ा.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चुहड़पुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना फतेहपुर के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि का रेखांक, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र हैक्टेयरों में
कांगड़ा	इन्दौरा	चुहड़पुर	183/1	0-05-74
			181/1	0-02-52
			179/1	0-01-44
			265/1	0-01-26
			265/4	0-02-37
			264/1	0-00-77
			272/1	0-04-92
			282/1	0-00-24
			275/1	0-02-11
			283/1	0-01-20
			273/1	0-05-01
			274/1	0-00-35
			287/1	0-00-60
			288/1	0-02-25
			278/1	0-00-07
			277/1	0-03-86
			280/1	0-00-75
			286/1	0-07-11
			किता-18	0-41-87 है0

शिमला–171002, 06 अक्तूबर, 2008

संख्या सिंचाई 11–53 / 2007–कांगड़ा.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः बाइन्दोरिया, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि का रेखांक, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र हैक्टेयरों में
कांगड़ा	इन्दौरा	बाइन्दोरिया	532/1	0-07-40
			530/1	0-04-23
			530/4	0-03-90
			536/1	0-04-96
			554/1	0-00-30
			589/410/1	0-02-10
			587/408/1	0-07-66
			493/1	0-04-40
			491/1	0-07-12
			543/1	0-05-39
			542/1	0-06-58
			548/1	0-03-50
			539/1	0-02-50
			551/1	0-01-64
			121/1	0-02-70
			531/1	0-03-20
			123/1	0-06-76
			125/1	0-01-78
			124/1	0-04-02
			153/4	0-02-40
			155/4	0-08-91
			158/1	0-03-87
			किता-22	0-95-32 है0

शिमला–171002, 6 अक्तूबर, 2008

संख्या सिंचाई 11–54 / 2007–कांगड़ा.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव घण्डरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता,

भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि का रेखांक, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र हैक्टेयरों में
कांगड़ा	इन्दौरा	घण्डरा	2218/1	0-02-96
			2229/1	0-03-50
			2230/1	0-03-57
			2235/1	0-09-44
			2243/1	0-08-16
			2800/2244/1	0-02-25
			2248/1/1	0-03-39
			2270/1	0-02-76
			2479/1	0-03-08
			2531/1	0-02-96
			2524/1	0-02-88
			2525/1	0-01-16
			2486/1	0-02-58
			2488/1	0-11-69
			किता-14	0-60-38 है0

शिमला–171002, 6 अक्तूबर, 2008

संख्या सिंचाई 11–49 / 2007–कांगड़ा.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कुड़सां तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि का रेखांक, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र हैक्टेयरों में
कांगड़ा	इन्दौरा	कुड़सां	1130/1	0-04-87
			1137/1	0-03-25
			1136/1	0-07-42
			944/1	0-02-45
			1235/935/1	0-06-96
			933/1	0-00-48
			917/1/2	0-00-50
			722/1	0-03-63
			932/1	0-00-72
			706/1	0-08-58
			696/1	0-15-33
			317/1	0-00-60
			316/1	0-03-24
			315/1	0-06-00
			318/1	0-03-90
			373/1	0-01-80
			371/1	0-02-10
			369/1	0-05-88
			339/1	0-02-25
			338/1	0-01-47
			680/1	0-02-10
			677/1	0-01-03
			616/1	0-04-51
			624/1	0-02-54
			626/1	0-00-38
			625/1	0-02-14
			628/1	0-07-05
			594/1	0-05-20
			582/1	0-08-19
			627/1	0-00-10
			590/1	0-00-39
			1142/1	0-01-28
			किता-32	1-18-56 है0

शिमला–171002, 6 अक्तूबर, 2008.

संख्याः सिंचाई 11–50 / 2007.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल–मलकाना मौजा सुरड़वा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन

समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

. **4.** भूमि का रेखांक, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र / (है0) में
कागंडा	इन्दौरा	मलकाना सुरड़वा	1562 / 497 / 11	0–06–38
			413 / 1	0–05–15
			422 / 1	0–00–32
			95 / 1	0–00–52
			96 / 1	0–03–15
			99 / 1	0–07–50
			112 / 1	0–06–60
			114 / 1	0–00–66
			117 / 1	0–04–40
			115 / 1	0–00–90
			1548 / 101 / 1	0–04–22
			57 / 1	0–03–15
			56 / 1	0–00–49
			54 / 1	0–05–10
			53 / 1	0–02–20
			51 / 1	0–03–30
			112 / 1	0–00–51
			47 / 1	0–02–10
			किता–18	0–56–65 है0

शिमला–171002, 6 अक्तूबर, 2008.

संख्याः सिंचाई 11–43 / 2007.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव घण्डरों, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि का रेखांक, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र / (है0) में
कागंडा	इन्दौरा	घण्डरों	2252 / 1	0–01–10
			2253 / 1	0–06–36
			2258 / 1	0–01–44
			2259 / 1	0–02–00
			2259 / 3	0–01–57
			2262 / 1	0–04–62
			2263 / 1	0–04–92
			2263 / 1 / 1	0–01–32
			2264 / 1	0–01–84
			किता–9	0–25–17 है0

शिमला–171002, 6 अक्तूबर, 2008.

संख्याः सिंचाई 11–52 / 2007.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

. **4.** भूमि का रेखांक, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र / (है0) में
कागंडा	इन्दौरा	मलकाना	628 / 1	0–00–23
			627 / 2	0–02–40
			1657 / 626 / 2	0–01–16
			1656 / 626 / 2	0–00–24
			625 / 2	0–01–20
			624 / 2	0–01–20
			1663 / 623 / 2	0–00–12
			623 / 2 / 2	0–00–36
			622 / 2	0–01–50
			845 / 2	0–02–64

589 / 2	0–03–60
584 / 2	0–03–25
566	0–02–86
567 / 1	0–00–10
565	0–00–72
559 / 2	0–01–55
559 / 1 / 1	0–00–07
528 / 2	0–02–64
524 / 2	0–02–42
454 / 2	0–05–48
1645 / 444 / 3	0–04–80
448 / 2	0–04–43
604 / 1	0–00–45
किता– 23	0–44–42 है0

शिमला–171002, 6 अक्तूबर, 2008.

संख्याः सिंचाई 11–14 / 2007.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल थात, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि आवश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि का रेखांक, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र / (है0) में
कागंडा	इन्दौरा	थात, मौजा सुरड़वा	888 / 1	0–02–07
			900 / 1	0–03–44
			918 / 1 / 1	0–02–72
			925 / 1	0–00–73
			किता– 4	0–08–96 है0

शिमला–171002, 6 अक्तूबर, 2008.

संख्याः सिंचाई 11–125 / 2007.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल काठगड़, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि का रेखांक, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र / (है0) में
कागंडा	इन्दौरा	काठगड़	162 / 1	0–03–26
			161 / 1	0–04–90
			160 / 1	0–01–68
			148 / 1	0–05–47
			158 / 1	0–00–94
			227 / 1	0–01–68
			228 / 1	0–02–59
			235 / 1	0–02–80
			239 / 1	0–00–09
			244 / 1	0–02–70
			247 / 1	0–00–85
			248 / 1	0–01–15
			236 / 1	0–00–30
			237 / 1	0–00–54
			238 / 1	0–00–62
			255 / 1	0–03–45
			256	0–01–90
			263	0–00–58
			264 / 1	0–00–36
			261 / 1	0–05–61
			262 / 1	0–02–47
			265 / 1	0–07–42
			278 / 1	0–01–16
			279 / 1	0–01–87
			किता– 25	0–56–94 है0

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव ।

————————

बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

18 नबम्बर, 2008

संख्या विद्युत.–छ–(5)–39 / 2008.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा

अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल दीद बगड, उप–तहसील ददाहु, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, थिसिल बैंक भवन, शिमला–3, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	उप तहसील	गावं	खसरा नम्बर	रकवा (बीघों में)
सिरमौर	ददाहु	दीद बगड़	646 / 493	5.1
			595 / 481	8.13
			650 / 493	6.18
			498	0.2
			665 / 495	0.3
			667 / 497	0.1
			648 / 493	21.14
			496	0.4
			590 / 480	19.7
			593 / 481	3.15
			652 / 493	12.4
			596 / 481	11.13
			608 / 482	1.13
			594 / 481	5.16
			659 / 493	0.11
			645 / 493	6.8
			502	19.14
			597 / 481	1.13
			587 / 480	33.1
			599 / 481	7.3
			588 / 480	27.16
			589 / 480	17.8
			707 / 660	30.8
			711 / 499	2.19
			500	0.5

662 / 494	1.7
710 / 499	0.2
598 / 481	8.17
703 / 607 / 482	7.4
591 / 480	46.14
655 / 493	13.4
656 / 493	10.8
584 / 480	9.13
501	3.12
600 / 481 / 1	103.12
666 / 497	0.2
664 / 495	0.1
658 / 493	1.4
661 / 494	3.4
कुल कित्ता–39	कुल रकबा–453.14 बीघा

आदेश द्वारा,
हस्ता0 / –
प्रधान सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित